डॉ एलिजाबेथ थॉमस
प्रभारी – बी.ए.बी.एस. सेल
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव
तथा
वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय व पदेन सहायक सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
के

दायित्व एवं कार्यप्रणाली दिशानिर्देश, 2018

(Access and Benefit Sharing Guidelines)

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

1. मध्यप्रदेश शासन का राजपत्र क्रमांक 38 दिनांक 21.09.2018 के अंतर्गत म. प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक–आर– 1868–957–2018–दस–2 दिनांक 12.09.2018 द्वारा वन अधिकारियों को मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के पदेन अधिकारी घोषित किया गया हैं।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्राधिकारिता)

   पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधत बोर्ड

   Ex-Officio Joint Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board

2. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्राधिकारिता)

   पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधत बोर्ड

   Ex-Officio Assistant Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

- जैवविविधता अधिनियम, 2002 की **धारा 7, 23 (ख) एवं 24 के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में**
- मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के **नियम 17 (4) के अंतर्गत प्राधिकरण।**
- **विनियम, 2014 के विनियम 2 एवं 3** में वर्णित प्रक्रिया अनुसार लाभ प्रभाजन।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

- समस्त क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
- अपने अधिकारिक क्षेत्र में वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों को प्राप्त करने वाले व्यापारी **(जिनका कार्यालय या गोदाम या दोनों उस क्षेत्र में स्थित है)** से लाभ प्रभाजन का अनुबंध करने हेतु अधिकृत हैं।
- इस परिपेक्ष्य में **जैव संसाधनों से संबंधित विनिर्माताओं (Manufacturers) के साथ अनुबंध सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा ही किया जावेगा।**

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

- वर्तमान में टाईगर रिजर्व एवं राज्य वन विकास निगम को अधिसूचना में सम्मिलित नहीं किया गया।
- अधिसूचना होने तक के इन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यापारी संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डल में आवेदन देंगे।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

लाभ प्रभाजन हेतु व्यापारियों द्वारा आवेदन :

जैव संसाधनों के व्यापारी (जिनका कार्यालय एवं मुख्य गोदाम जिस जिले में स्थित है) द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये संयुक्त वन प्रबंधन समिति/वनवासी/जनजाति कृषक/ ग्राम सभा से जैव संसाधनों की प्राप्ति/पहुँच के लिये अपने जिले के क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव को निर्धारित फार्म–1 **(प्ररूप–1)** में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

लाभ प्रभाजन हेतु व्यापारियों द्वारा आवेदन :

यदि व्यापारी कोई जैव संसाधन **मध्यप्रदेश के बाहर** से प्राप्त करता है तो व्यापारी को संबंधित राज्य के जैवविविधता बोर्ड से व्यक्ति/व्यापारी (जिससे जैव संसाधन का क्रय किया जा रहा है) द्वारा किये गये **लाभ प्रभाजन का प्रमाण** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित जैव संसाधनों पर भी लाभ प्रभाजन राशि देय होगी।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

लाभ प्रभाजन हेतु व्यापारियों द्वारा आवेदन :

1. मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 17 (2) – यथा संभव 3 माह में आवदेन का निपटान

2. ए.बी.एस. विनियम, 2014 विनियम 16 (3) – आवेदन की समय–सीमा तब प्रारंभ होगी जब आवेदन सभी परिपेक्ष्यों में पूर्ण होगा।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

चरण	कार्यवाही का विवरण	समय–सीमा
चरण–1	1. व्यापारी से प्ररूप 1 में आवेदन। 2. आवेदन के साथ निर्धारित फीस, 3. जैव संसाधनों की प्रस्तावित मात्रा परिशिष्ट – 1 (टी) 4. सहपत्र का अनुसार अभिलेख।	-

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

चरण	कार्यवाही का विवरण	समय–सीमा
चरण – 2	1. प्ररूप 1 एवं सहपत्र में वर्णित दस्तावेजों का परीक्षण 2. यदि आवेदक धारा 3 (2) के अंतर्गत आता है (अर्थात व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा ऐसा निगमित निकाय या संगठन जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है) तो राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण को आवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें एवं इसकी एक प्रति म. प्र. जैवविविधता बोर्ड को भी भेजे। 3. यदि आवेदन त्रुटिपूर्ण है (निर्धारित प्रारूप में नहीं है) तो आवेदन अस्वीकृत करें। 4. यदि आवेदन अपूर्ण है तो आवेदक को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें। आवेदक द्वारा समय सीमा में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन मय आवेदन फीस वापिस करें। 5. यदि आवेदन पूर्ण है तो आगामी कार्यवाही करें।	आवेदन प्राप्त होने से 15 दिवस

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

अस्थाई पंजीयन :

आवेदन एवं संलग्न अनिवार्य अभिलेखों, परिशिष्टों का परीक्षण कर निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र – 2) में अस्थाई पंजीयन जारी किया जायेगा।

नोट – फील्ड से प्राप्त फीडबेक के आधार पर अस्थाई पंजीयन को हटाकर अभिस्वीकृति (Acknowledgement) दिया जावेगा।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

चरण	कार्यवाही का विवरण	समय–सीमा
चरण –3	1. आवेदन की फीस बोर्ड के राज्य जैवविविधता निधि खाते में जमा करावें। 2. अस्थाई पंजीयन निम्नानुसार प्रारूप में जारी करें। **एमपीएसबीबी/बीएबीएससी/जिले का नाम/वित्तीय वर्ष/क्रमांक** 3. अस्थाई पंजीयन आवेदक द्वारा बोर्ड को पूर्व सूचना देने का प्रमाण मात्र है, जिसकी वैधता पंजीयन जारी होने की दिनांक से मात्र 60 दिवस होगी।	चरण 2 के पूर्ण होने से अधिकतम 15 दिवस

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

परामर्श :

मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 17 (2) अनुसार आवेदन में वर्णित जैव संसाधनों के संबंध में अभिमत–

1. स्थानीय निकाय/जैवविविधता प्रबंधन समिति/ **वन अधिकारी** (जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन एवं सक्रियकरण होने तक अंतरिम व्यवस्था) – अधिकतम एक माह की समय सीमा में अभिमत प्राप्त किया जावेगा।

2. यदि **जैव संसाधनों का प्राप्ति/पहुंच एक या एक से अधिक वनमण्डलों से किया जा रहा है, तो संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव** से भी परामर्श करें।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

चरण	कार्यवाही का विवरण	समय–सीमा
चरण – 4	1. स्थानीय निकायों एवं **क्षेत्रीय वन अधिकारियों** से अभिमत (प्रपत्र – 3) प्राप्त करें। (जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन एवं सक्रियकरण होने तक यह एक अंतरिम व्यवस्था है) 2. यदि समय–सीमा में अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा की संबंधित वन मण्डल की कोई आपत्ती नहीं है।	अस्थाई पंजीयन जारी होने की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

प्रजाति विशेष का अनुबंध वर्जित :

यदि मध्यप्रदेश वन उपज (जैवविविधता का संरक्षण एवं पोषणीय एवं कटाई) नियम 2005 के तहत वनमण्डलाधिकारी द्वारा किसी प्रजाति या उसके भाग के उपयोग पर किसी क्षेत्र विशेष/मौसम में प्रतिबंधित किया जाता है तो क्षेत्र उस क्षेत्र से ऐसी प्रजाति के जैव संसाधन प्राप्त किये जाने के संबंध में अनुबंध किया जाना वर्जित होगा।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

लाभ प्रभाजन राशि की गणना :

- अनुबंध की राशि की गणना विनियम, 2014 के विनियम 3 के अनुसार
- जैव संसाधनों के क्रय मूल्य की कुल राशि का 1–3 प्रतिशत की दर से लाभ प्रभाजन की गणना की जावेगी।
- यह गणना समय–समय पर बोर्ड के द्वारा निश्चित दर पर की जावेगी।
- लाभ प्रभाजन राशि की गणना कर गणना पत्रक (**प्रपत्र–4**) संबंधित आवेदक को उपलब्ध कराया जावेगा।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

चरण	कार्यवाही का विवरण	समय–सीमा
चरण – 5	अनुबंध के प्रथम वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018–19) हेतु जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन राशि की गणना (जैव संसाधनों के क्रय मूल्य का 1 प्रतिशत) कर आवेदक को सूचित करें।	चरण 4 के पूर्ण होने से अधिकतम 30 दिवस

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

ए.बी.एस. राशि गणना पत्रक

जैव संसाधनों का नाम	अधिनियम की धारा–40 अंतर्गत छूट प्राप्त जैव संसाधन	जैव संसाधनों की अनुमानित मात्रा (किलोग्राम में)	प्रति किलोग्राम अनुमानित दर (रू/प्रति किलो)	जैव संसाधनों का अनुमानित क्रय मूल्य (रू.)	एबीएस दर **(1%)**	एबीएस राशि (रू)
धावड़ा गोंद	-	3,500	100	3,50,000.00	3,500.00	**4,500/-**
सलाई गोंद	-	1,000	100	1,00,000.00	1,000.00	
		4,500		**4,50,000.00**		

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

लाभ प्रभाजन की राशि का भुगतान :

- आवेदक लाभ प्रभाजन की संगणित राशि का डिमांड ड्राफ्ट **सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल** के नाम से अथवा आर.टी.जी.एस. द्वारा अग्रिम भुगतान करेगा।
- यह राशि बोर्ड की 'राज्य जैवविविधता निधि' खाते में जमा की जावेगी।
- जमा राशि की सूचना बोर्ड द्वारा संबंधित वनमण्डल को प्रेषित की जावेगी।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

लाभ प्रभाजन की राशि का भुगतान :

- आर.टी.जी.एस. हेतु खाते का विवरण–
- Name of A/c Holder : **Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board**
- Bank Name : **IDBI Bank**
- Branch Name : Centre Point, Housing Board Building, T.T. Nagar, New Market, Bhopal (M.P.)
- **S.B. Account No. : 030104000235983**
- **IFSC Code : IBKL0000030**
- MICR Code : 462259002

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

लाभ प्रभाजन हेतु व्यापारियों से अनुबंध का निष्पादन :

- अनुबंध 2 वित्तीय वर्ष की अवधि हेतु निष्पादित किया जावेगा।
- आवेदक द्वारा अनुबंध के प्रथम वर्ष हेतु लाभ प्रभाजन की संगणित राशि का अग्रिम भुगतान उपरान्त आवेदक एवं पदेन सहायक सदस्य सचिव द्वारा **जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र–5 में अनुबंध** हस्ताक्षरित किया जावेगा।
- अनुबंध का निष्पादन राज्य में प्रचलित शुल्क अनुसार गैर न्यायिक स्टॉम्प राशि रू. 1,000/– पर किया जावेगा, जिसका भुगतान संबंधित आवेदक द्वारा किया जावेगा।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

Grant of Approval :

- यह अनुबंध ही Grant of Approval कहा जायेगा। अनुबंध के परिशिष्ट–5 (**प्रपत्र – 5**) में वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों की प्राप्ति का प्रमाण पत्र सभी संबंधितों को प्रेषित किया जावेगा।
- यह अनुज्ञा अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु जारी की जावेगी।
- अनुबंध के द्वितीय वर्ष हेतु लाभ प्रभाजन राशि की गणना हेतु आवेदक प्रथम वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रारूप 1–टी में जैव संसाधनों की प्रस्तावित मात्रा की जानकारी प्रस्तुत करेगा
- जिसके आधार पर फायदा बंटान राशि के भुगतान उपरांत 31 मार्च तक आगामी वित्तीय वर्ष हेतु उक्त मात्रा का अनुज्ञा प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

चरण	कार्यवाही का विवरण	समय–सीमा
चरण – 7	1. जैव संसाधनों तक पहुंच हेतु अनुबंध के प्रथम वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018–19) हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करें। 2. यह अनुज्ञा अनुबंध की दिनांक से जारी की जावेगी।	चरण 4 के पूर्ण होने से अधिकतम 30 दिवस

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

चरण	कार्यवाही का विवरण	समय–सीमा
चरण –8	आवेदक से अनुबंध के द्वितीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019–20) हेतु जैव संसाधनों की मात्रा का प्राक्कलन परिशिष्ट 1–टी में प्राप्त करें।	31 दिसम्बर 2018 के पूर्व

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

चरण	कार्यवाही का विवरण	समय–सीमा
चरण – 9	स्थानीय निकायों एवं क्षेत्रीय वन अधिकारियों से आवेदक द्वारा अनुबंध के द्वितीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019–20) हेतु प्राक्कलित जैव संसाधनों की मात्रा के संबंध में परामर्श (चरण 4 अनुसार)।	31 मार्च 2019 के पूर्व

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

चरण	कार्यवाही का विवरण	समय–सीमा
चरण – 10	अनुबंध के द्वितीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019–20) हेतु जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन राशि की गणना (बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिशत अनुसार) कर आवेदक को सूचित करें।	31 मार्च 2019 के पूर्व

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

चरण	कार्यवाही का विवरण	समय–सीमा
चरण – 11	1. पूर्व प्रक्रिया अनुसार ही आवेदक द्वारा अनुबंध की द्वितीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019–20) हेतु जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन राशि बोर्ड के राज्य जैवविविधता निधि खाते में जमा करावें। 2. अनुबंध के द्वितीय वर्ष हेतु (वित्तीय वर्ष 2019–20) हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करें। फ्लोचार्ट	31 मार्च 2019 के पूर्व

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

अनुबंध का पुनः परीक्षण/निरस्त करना :

मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के नियम 18 एवं 19 के तहत यदि संबंधित व्यापारियों के द्वारा जैव संसाधनों की प्राप्ति से जैवविविधता संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा संवहनीय न होने की स्थिति में अनुबंध को पुनरीक्षित अथवा निरस्त किया जावेगा।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

लाभ प्रभाजन राशि का पुनः आंकलन (Reconciliation) :

- वित्तीय वर्ष समाप्ति पर आवेदक से निर्धारित प्रारूप (अनुबंध के परिशिष्ट–3) में जैव संसाधनों के उपयोग के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जावेगा
- जैव संसाधनों के वास्तविक उपयोग की मात्रा के आधार पर आवेदक द्वारा भुगतान की गई लाभ प्रभाजन की राशि का पुनः आंकलन किया जावेगा
- अंतर की शेष राशि सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल के नाम से डिमांड ड्राफ्ट से जमा की जावेगी।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

चरण	कार्यवाही का विवरण	समय–सीमा
चरण – 12	1. आवेदक से अनुबंध के प्रथम वर्ष 2018–19 में उपयोग की गई वास्तविक जैव संसाधनों की मात्रा का विवरण अनुबंध के परिशिष्ट–3 अनुसार प्राप्त करें।	31 दिसम्बर 2019 के पूर्व
चरण – 13	1. अनुबंध के प्रथम वर्ष 2018–19 की लाभ प्रभाजन राशि का समायोजन किया जावेगा।	31 मार्च 2020 के पूर्व

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड से समन्वय एवं जानकारी प्रेषित करना :

पदेन सहायक सदस्य सचिव द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड से समन्वय स्थापित करते हुए सम्पूर्ण Grant of approval की जानकारी **प्रत्येक माह के अगले माह की 5 तारीख** तक संबंधित **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव तथा सदस्य सचिव**, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड कार्यालय, भोपाल को निर्धारित **प्रपत्र – 7** में प्रेषित की जावेगी।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

लाभ प्रभाजन राशि संधारण की प्रक्रिया :

वर्तमान में इस प्रक्रिया के तहत एकत्रित किये जाने वाली समस्त राशि सीधे **मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल** कार्यालय के **'राज्य जैवविविधता निधि खाते'** में जमा की जावेगी।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

निरीक्षण, समीक्षा व मूल्यांकन :

- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक व **पदेन संयुक्त सदस्य सचिव** अपने कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ अधिकारियों को जैवविविधता अधिनियम 2002, मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 तथा विनियिम 2014 के अनुपालन में **मार्गदर्शन** प्रदान करेंगे।
- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव अपने कार्य क्षेत्र में **जैव संसाधनों के व्यवसायिक उपयोग का नियमन एवं लाभ प्रभाजन के** कार्यों का नियमित निरीक्षण, समीक्षा एवं मूल्यांकन करेंगे।
- **राज्य स्तर पर** मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा सभी इकाईयों (क्षेत्रीय वनमण्डल) की **6 माही** लाभ प्रभाजन राशि का reconciliation व्यवस्था की समीक्षा की जावेगी।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

लाभ प्रभाजन की राशि का उपयोग :

1. जैव संसाधनों की प्राप्ति एक से अधिक वनमण्डलों से प्राप्त होती है, तो इस राशि को समानुपातिक रूप से संबंधित वनमण्डलों को प्रदाय की जावेगी।

2. राज्य जैवविविधता निधि में जमा की गयी राशि का **95 प्रतिशत क्षेत्रीय जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियों** के लिये मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के अनुमोदन के तहत उपयोग की जावेगी।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

3. क्षेत्रीय वनमण्डल द्वारा संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समितियों के प्रस्ताव **मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव**, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जायेंगे। संयुक्त सदस्य सचिव के अनुमोदन उपरांत संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डल द्वारा कार्यों का संपादन किया जावेगा।

   इस राशि का मुख्यतः उपयोग उस प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन में किया जावेगा, जिसके लिए पहुंच की अनुमति जारी की गयी है।

4. लाभ प्रभाजन राशि का शेष **5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु उपयोग** किया जावेगा। यह राशि बोर्ड एवं संबंधित वनमण्डल द्वारा इस प्रक्रिया पर होने वाले प्रशासनिक व्यय हेतु उपयोग की जावेगी।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

विवाद व निराकरण :

मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव तथा वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय व पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा दिशानिर्देश के अनुपालन एवं लाभ प्रभाजन हेतु अनुबंध पर किसी प्रकार के मतभेद या विवाद की स्थिति निर्मित होने पर **सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।**

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

जैवविविधता प्रकोष्ठ का गठन :

- इस दिशानिर्देश के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय वनमण्डल द्वारा कार्यालय में **'जैवविविधता प्रकोष्ठ'** का गठन किया जावेगा।
- इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त किये जाने वाले समस्त डिमांड ड्राफ्ट एवं अनुबंधों के संबंध में वनमण्डल स्तर पर अलग से पंजी का संधारण किया जावेगा। जिसका निरीक्षण प्रत्येक माह एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित मुख्य गतिविधियां क्रियान्वयन :

वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव अपने क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित निम्नानुसार मुख्य गतिविधियां क्रियान्वयन करेंगे–

(i) **स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन/पुर्नगठन सक्रियकरण एवं समितियों के माध्यम से स्थानीय संरक्षण गतिविधियॉ/ परियोजनाओं का क्रियान्वयन। (जनपद स्तर पर समितियों का गठन प्राथमिकता पर किया जाना है)**

(ii) क्षेत्रीय जैवविविधता का संरक्षण विशेष रूप से दुर्लभ संकंटापन्न एवं संकट ग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण एवं संर्वधन।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

(iii) मुख्यतः पहुंच की अनुमति जिस जैव संसाधनों के लिए जारी की गयी है, उस प्रजाति का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य।

(iv) जैवविविधता विरासत स्थलों की पहचान, अधिसूचना एवं प्रबंधन करना।

(v) जिले की व्यापारिक महत्व के जैव संसाधनों का डाटा बेस संधारित करना।

(vi) जैवविविधता संरक्षण हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

वनमण्डलों से अपेक्षायें –

1. दिनांक 20 नवम्बर 2018 तक सभी वनमण्डलों में जैवविविधता प्रकोष्ठ का गठन किया जावे।

2. निस्तार पत्रिका में लाभ प्रभाजन के संबंध में 10 बिन्दु बनाकर मुद्रित कराया जावे।

3. अपने वनमण्डल में व्यापार किये जा रहे जैवसंसाधनों का सूचीकरण (समयसीमा 1 माह)।

4. आपके क्षेत्र के जैव संसाधनों के व्यापारियों एवं विनिर्माताओं **(Manufactures)** का सूचीकरण।

5. विनिर्माताओं को जैवविविधता बोर्ड में आवेदन हेतु निर्देशित करें।

6. मासिक जानकारी साफ्टकापी में प्रेषित करें।

जैवसंसाधनों तक पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया

संपर्क

1. श्री श्रीनिवास मूर्ती – सदस्य सचिव, 9644004102
2. डॉ.एलिजाबेथ थॉमस – प्रभारी 9644004106
   बी.ए.बी.एस.सेल
3. श्री भरत भूषण कठैल – विधि विशेषज्ञ 9806653232
4. श्री डी.पी. तिवारी – स्त्रोत व्यक्ति 9425029009

धन्यवाद